

22

महाराष्ट्र सरकार
वस्ती विभाग
ला० नं० 241, 80 वीं
गाजियाबाद

8052

03/MEH/02

14950

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार - कृषि।
2. वार्ड परगना - डासना।
3. मौहल्ला/ग्राम - महारौली ग्राम।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) - खाता नं० 708 के खसरा नं० 1224
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर) हैक्टेयर।
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.2150 हैक्टेयर।
7. सड़क की स्थिति (पर्यवेक्षण के अनुसार) - 200 मीटर से अधिक।
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कॉर्नर इत्यादि) - नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार - भूमि कृषि।
10. प्रतिफल की धनराशि - 87,39,848/- रुपये।
11. पेड कुँआ नलकूप व बोरिंग व आबादी नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (5)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण :

1. नाम : श्री सुखपाल भुज विव्रम सिंह व विपिन, सचिन पुत्रगण औंकार, अजय पुत्र निरंकार व अनिता पत्नी स्व० निरंकार।
2. स्थाई पता : ग्राम महारौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।
3. व्यवसाय :

1. क्रेता का विवरण : नाम : मैसर्स उप्पल चट्टा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजेश बिष्ट
2. पिता का नाम : श्री डी० एस० बिष्ट
3. स्थाई पता : 80, फेन्डस कॉलोनी ईस्ट, नई दिल्ली-110065.
4. व्यवसाय :

सुखपाल भुज सिंह
विपिन

Sachin
Sachin

अनिता

अनिता

विजेश बिष्ट

विक्रय पत्र

8,739,848.00 /

10,000.00

40

10,040.00

2,000

काग मजदूरी:

मकान व गीने मुल्क

गैर

उत्तर प्रदेश

प्रतिफल भालियन

श्री मेसर्स उम्पल बड्डा द्वारा ब्रिजेश बिष्ट

पुत्र श्री डी एस बिष्ट

व्यवसाय नौकरी/व्यापार/ग्रहणी

निवासी ग्राम 60 केन्डस कालीनी नई दिल्ली

अन्यथा पता

मे वह तेलुगु इग कार्यालय में दिनांक 18/12/2014 समय 3:27 PM

द्वारा निरूपित हेतु पत्र किया



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (पंचम)

गाजियाबाद

18/12/2014

निष्पादन लेखक बाद मुद्रने व मपझने मजमून व प्राप्त धनगोशि म फलप्राप्तप्राप्त एक

विकेला

केला

श्री सुखपाल
पुत्र श्री बिरुम सिंह
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी ग्राम - मेहरौली गा बाद



श्री मेसर्स उम्पल बड्डा द्वारा ब्रिजेश बिष्ट
पुत्र श्री डी एस बिष्ट
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी 60 केन्डस कालीनी नई दिल्ली



श्री बिदिन
पुत्र श्री औंकार
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी ग्राम - मेहरौली गा बाद



श्री सचिन
पुत्र श्री औंकार
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी ग्राम - मेहरौली गा बाद



श्री अजय
पुत्र श्री निरंकार
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी ग्राम - मेहरौली गा बाद



(2)

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 87,39,848/- रुपये ।

स्टाम्प अंकन : प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0गि0-5-893/ग्यारह 2010-500-(83)-2005 दिनांक-6 मई, 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबन्धित विकासकर्ता कम्पनी कन्सार्शियम क्रेता स्टाम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

हम कि श्री सुखपाल पुत्र विक्रम सिंह व विपिन, सचिन पुत्रगण औंकार, अजय पुत्र निरंकार व अनिता पत्नी स्व० निरंकार ग्राम महरीली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।
(फरीक अन्वल/विक्रेतागण)।

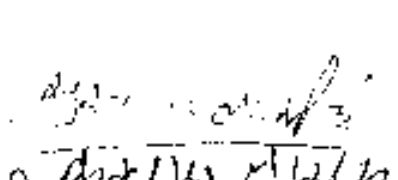
एवम

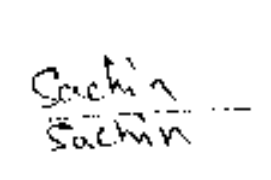
गैससे उपरल चढ़डा हाईटेक डगलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री ब्रिजेश बिष्ट पुत्र श्री डी० एस० बिष्ट 60,फेन्डस कॉलोनी ईस्ट,नई दिल्ली-110065.

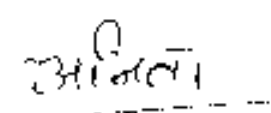
....द्वितीय पक्ष फरीक दोयम(क्रेता)

विक्रीत भूमि का विवरण :

(*) स्थित ग्राम महरीली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 708 के खसरा नं० 1224 एकबई 0.2150 है० में उपरोक्त विक्रेतागण सम्पूर्ण गाग यानि 0.2150है० के मालिक है और अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैनामा कर रहे है। प्रथम पक्ष विक्रेतागण अनुसार खतौनी 1417 1422 फसली फरीक अन्वल (विक्रेतागण) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी, बतौर संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।


Sachin Sachin


Sachin Sachin


अनिता
अनिता

श्रीमती अनिता
पत्नी श्री रघु-निरंकार
पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी
निवासी ग्राम - मेहरौली गा याद

अनिता



ने निष्पादन ग्योकार किया ।

जिनकी पक्षधार श्री ओम पाल सिंह

पुत्र श्री ब्रह्म सिंह

पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी

निवासी ग्राम - मेहरौली गा याद

व श्री दीपक शर्मा

पुत्र श्री महेश शर्मा

पेशा नौकरी/व्यापार/ग्रहणी

निवासी ग्राम - मेहरौली गा याद

ने की

प्रत्यक्षतः भद्र माशिकों के निशान अंगुठों निचानुसार लिखे गये हैं।

ओम पाल सिंह

दीपक शर्मा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक (पंचम)
गाजियाबाद
18/12/2014



(3)

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। विक्रय भूमि के चारों ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है। जिसका सरकारी सर्किल रेट-4000/- प्रति वर्ग मीटर है। लेकिन प्रथम पक्ष का सौदा द्वितीय पक्ष से 4065/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अंकन-87,39,848/- रुपये (सत्तासी लाख उनतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) में तय है।

(3) विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रीत भूमि ग्राम सनाज, भूदान, वक्फ, एट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी, भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति

Sachin
Sachin

Sachin
Sachin

अनुसूचित
अनुसूचित



अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति



विश्लेषण

Registration No.: 8052

Year: 2014

Book No. 1

0101 सुखपाल *Sukhpal*
बिक्रम सिंह
ग्राम - मेहरौली गा बाघ
नौकरी/व्यापार/ग्रहणी



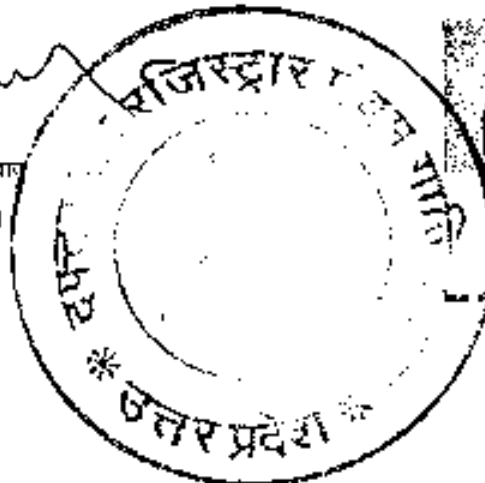
0102 विविन *Vivin*
औषध
ग्राम - मेहरौली गा बाघ
नौकरी/व्यापार/ग्रहणी



0103 सचिन *Sachin*
औषध
ग्राम - मेहरौली गा बाघ
नौकरी/व्यापार/ग्रहणी



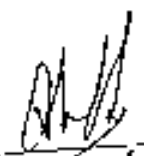
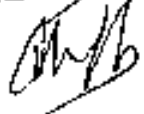
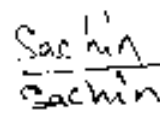
0104 अजय *Ajay*
निर्वाह
ग्राम - मेहरौली गा बाघ
नौकरी/व्यापार/ग्रहणी

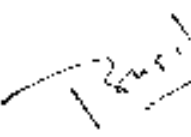
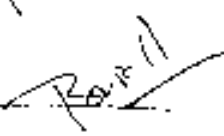
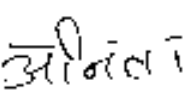
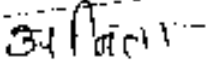


(4)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आब, रहन, बय, हिबै, गहायदाय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का अयूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित /उल्लिखित भूमि के संबंध में हम विक्रेतागण ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध-पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है और न ही कहीं गोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।



विक्रेता

Registration No.. 8052

Year : 2014

Book No. : 1

0105 अनिता

अनिता

स्व- निरंकार

ग्राम - मेहरीली गा याद

नौकरी/व्यापार/ग्रहणी



(5)

(7) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त स्थित ग्राम महारौली परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 708 के खसरा नं० 1224 रकबई 0.2150 है० में उपरोक्त विक्रेतागण सम्पूर्ण भाग यानि 0.2150 है० के मालिक है और अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैनामा कर रहे है। हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा हमें अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेतागण को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन- : 87,39,848/- रुपये (सत्तासी लाख उनतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन- 43,69,924/- रुपये (तीतालीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौबीस रुपये मात्र) होते है के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता मैसर्स उप्पल चद्दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री त्रिजेश बिष्ट पुत्र श्री डी० एस० बिष्ट 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वितीय पक्ष को बेय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

क्रेतागण का हस्ताक्षर
क्रेतागण का हस्ताक्षर

Sachin
Sachin

Sachin

अनिता
अनिता

अनिता
अनिता



कैला

Registration No. : 8052

Year: 2014

Book No. : 1

0201 मेसर्स लण्णल चडडा द्वारा बिजेहा बिष्ट
डी एल बिष्ट
60 फेन्डस कालीनी गार्ड दिल्ली
नीकरी/व्यापार/ग्रहणी



(6)

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे वहाँसिखत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेतागण, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल करिज मालकागजारा में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते हैं. हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा.

अबुलकासिम अली खान
अबुलकासिम अली खान

Sachin
Sachin

अमित
अमित

अमित

अमित

अमित
अमित





(7)

(10) अतः अब विक्रय परचात विक्रीत भूमि की मलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से हम विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा ।

(11) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। क्रेता कम्पनी का पैन नं०-AAACU7200M है।

(12) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

अब विक्रेता का
विक्रेता का

Sachin
Sachin

अब विक्रेता का
विक्रेता का

अमिता
अमिता



अब विक्रेता का
विक्रेता का





(8)

(13) विक्रंतागण ने विक्रीत भूमि स्कवर्ड 0.2150 हैक्टेयर, ग्राम गहरीली परगना हासना उहरील व जिला गाजियाबाद (उ०प्र०) के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय मन्सारी प्राप्त कर ली है-

अंकन- 20,05,022/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569359 दिनांक 18.12.2014 व

अंकन - 6,68,335/- रुपये द्वारा बैंक नं० 5,69,364 दिनांक 18.12.2014 व

अंकन- 6,68,335/- रुपये द्वारा चैक नं० 569,367 दिनांक 18.12.2014 व

अंक- 3,34,177/- रुपये द्वारा बैंक नं० 5,69,327 दिनांक 18.12.2014 व

अंकन- 3,34,177/- रुपये द्वारा बैंक नं० 5522334 दिनांक 18.12.2014 व

अंकन - 11,82,449/- रुपये द्वारा बैंक नं० २६५३६० दिनांक 18.02.2015 व

अंकन-- 3,94,146/- रुपये द्वारा चैक नं० 5562365 दिनांक 18.02.2015 व

[illegible]





(9)

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,369 दिनांक 18.02.2015 व

अंकन- 1,97,080/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,372 दिनांक 18.02.2015 व

अंकन- 1,97,080/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,372 दिनांक 18.02.2015 व

अंकन- 11,82,449/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,361 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,363 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,368 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,369 दिनांक 18.02.2015 व
अंकन- 1,97,080/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,372 दिनांक 18.02.2015 व

Sachin
Sachin

अंकन- 11,82,449/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,361 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,363 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 3,94,146/- रुपये द्वारा बैंक नं० 569,368 दिनांक 18.03.2015 व



(10)

अंकन- 1,97,080/- रुपये द्वारा चैक नं० 569,376 दिनांक 18.03.2015 व

अंकन- 1,97,080/- रुपये द्वारा चैक नं० 569,380 दिनांक 18.03.2015

विक्रेतागण द्वारा प्राप्त कर लिये है कुछ भी बाकी नहीं रहा है।

देव प्रताप सिंह Sachin
देव प्रताप सिंह Sachin

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा) अजित

फरीक अब्बल (विक्रेतागण) अजित

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)

फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं० 1 अमपाल सिंह स/० कन्हो सिंह
8/13 चिरंजीव विहार जालिमबाद

गवाह नं० 2 देवीकुश शर्मा स/० महेन्द्र शर्मा
मौदौनाग जालिमबाद

तहरीर दिनांक : 18/12/2014 सौदा।



गवाह नं० 3 देवीकुश शर्मा स/० महेन्द्र शर्मा
मौदौनाग जालिमबाद

आज दिनांक 18/12/2014 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 4683

पृष्ठ सं. 347 से 368 पर क्रमांक 8052

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर



उप निबन्धक (पंचम)

गाजियाबाद

18/12/2014



15 DEC 2014



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

CF 426094

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 15/12/14 स्थान गाजियाबाद में श्री.....

निवासी ग्राम सहस्रली परगना तहसील
जिला

प्रथम पक्ष

एवं

गैर पंजीकृत नई

कार्यालय दिल्ली द्वारा पुत्र

द्वितीय पक्ष

सुरेश कुमार

Sachin

Sum

अमित

म सं० ५१

स्टाम्प दिनांक का लेखि 16/12/19

स्वाम्य कय कयन को प्रदेज

स्टैम्प शीट का नाम है पूरा एना

राज्य और संसदीय



महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग, मुंबई

निदेशक अथवा निदेशिका

-15-

-15-

15 DEC 2014



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 426094

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 14/12/14 स्थान गाजियाबाद में श्री.....
निवासी ग्राम झुंझुनार परगना..... तहसील.....
जिला.....

प्रथम पक्ष

एवं

मे0..... पंजीकृत
कार्यालय..... नई
दिल्ली द्वारा पुत्र.....

द्वितीय पक्ष

अद्विता

पृ. सं० ५१

स्टाम्प विभाग का दिनांक 18/12/15

स्टाम्प लेव कराने का प्रमाण

स्टाम्प लेव कराने का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 100

श्री राज कुमार शर्मा निवासी हरद्वार जिला

उपरोक्त का-दि 20/12/15 -15

श्री राज कुमार शर्मा निवासी हरद्वार जिला

उपरोक्त धनराशि का-दि 20/12/15

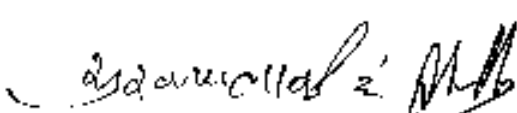
विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम..... परगना..... तहसील.....
जिला..... में स्थित भूमि खाता सं०..... खसरा सं.....
..... कुल रकबा हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर
सरकारी आदि से पाक व साफ है। -

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष
के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में
बही सं० के पुस्तक सं०..... पृष्ठ..... पर क्रम सं०
पर दर्ज है।

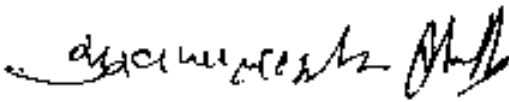
प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से
प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके
सम्पूर्ण हिस्से पर रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से रु०...../- द्वारा चैक
नं. दिनांक बैंक..... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया
जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके
वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन..... रुपए
व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या गुनर्वास हेतु
आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. प्रति वर्ग
मीटर के हिसाब से निर्धारित धनराशि..... दोनों पक्षों को मान्य
है।

 Sachin  अंशु

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु..... द्वारा चैक सं०..... दिनांक..... बैंक से प्राप्त कर लिये है।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

 Sachin  अनिता

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.

